

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 358 /2021

दिनांक 20.01.2021

श्रीमती अम्बिका सोलंकी (RJ0767), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जोधपुर महानगर को दिनांक 01.02.2021 से 24.02.2021 तक 24 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 31.01.2021 व 27.02.2021 से 28.02.2021 के राजपत्रित अवकाशों एवं 25.02.2021 से 26.02.2021 के ऐच्छिक अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित एवं (आदेश क्रमांक Gen/XV(TRNG) 09/2021/375, dated 28.01.2021 के अनुसार webinar on "The statutory framework of the Mental healthcare Act, 2017 and concerns regarding implementation" on 09.02.2021 को attend करने की शर्त सहित) स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती सोलंकी की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-05, जोधपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जोधपुर महानगर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से
30/1/2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/50/2013/ 871

दिनांक 30.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 552 दिनांक 25.01.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती अम्बिका सोलंकी (RJ0767), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जोधपुर महानगर ।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जोधपुर महानगर ।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-05, जोधपुर महानगर ।

सहायक रजिस्ट्रार